

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा

44, सावरकर पथ, सिटी कोतवाली के सामने,
प्रधान कार्यालय विदिशा

:: परिसर हेतु प्रस्ताव के लिए निमंत्रण ::

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा निम्न स्थान पर शाखा स्थांतरित करने हेतु किराये आधार पर परिसर अधिग्रहित करना चाहता है। बैंक द्वारा बैंकिंग उपयोग हेतु अनुमति प्राप्त संपत्ति (भूतल पर) स्पष्ट और बाजार योग्य स्वात्वाधिकार रखने वाले स्वामियों/अधिकार प्राप्त/डवलपर्स से प्रस्ताव आमंत्रित करता है:-

क्र.	स्थान	कारपेट क्षेत्रफल
1.	स्थान लटेरी, मेन रोड/मेन मार्केट	1500-2000 वर्गफीट (लगभग)

परिसर हेतु निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 03.10.2023 है। विज्ञापन का संदर्भ देते हुए तथा आवेदक द्वारा अपना नाम, पता, मोबाईल नंबर एवं किराये पर दिये जा रहे भवन का समस्त विवरण आदि लिखकर प्रमाण सहित इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की दिनांक से 14 दिनों के अंदर निम्न पते पर प्रस्तुत किया जाये:-

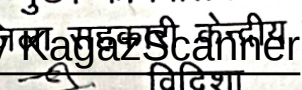
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, 44 सावरकर पथ, सिटी कोतवाली के सामने विदिशा (म.प्र.) 464001

उपर्युक्त प्रक्रिया में बैंक द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। साथ ही तत्संबंध में किसी भी प्रकार से कोई दावा या विवाद विचारणीय नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट <https://jskbvidisha.in> तथा प्रधान कार्यालय, 44 सावरकर पथ, सिटी कोतवाली के सामने विदिशा से संपर्क किया जावे।

शर्त:-

1. न्यूनतम 1500-2000 वर्गफीट कारपेट एरिया भूतल पर बैंक भवन की आवश्यकता को पूर्ण करने वाला परिसर होना आवश्यक है।
2. भवन के साथ वाहन पार्किंग के लिए पृथक से स्थान होना आवश्यक है।
3. लटेरी में मुख्य मार्ग में परिसर होना चाहिये।
4. भवन का मासिक किराया शासकीय नियमानुसार ही देय होगा। तदाशय किराये की दरें शासन के नियमानुसार ही माँग स्वरूप प्रस्तुत की जावें, ताकि किराये का निर्धारण नियमोचित तरीके से किया जा सके।
5. बैंक के नियमानुसार स्ट्रॉंग रूम का निर्माण भवन मालिक द्वारा करके दिया जावेगा।
6. न्यूनतम 10 वर्ष का किराया अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।
7. बैंक हेतु V.Sat, Lease Line या अन्य उपकरण हेतु आवश्यक होने पर भवन मालिक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र माँग पर देय होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

Scanned By  विदिशा